


की भूमि में आवागन हेतु आवश्यकता की श्रेणी में आती है प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं सुविधा मात्र के लिए नहीं है प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी को उसकी भूमि के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है प्रार्थी को वास्तव में रास्ता की आवश्यकता है नवीन मार्ग स्वीकृत किया जाना आवश्यक है प्रार्थी की मांग के अनुसार वांछित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अतः चक 6 एम.के. बी. के पत्थर नं. 147/292 मु.नं. 29 के कि.नं. 1/1 की 0.025 है. में सें तादादी 16.5 गुणा 16.5 वर्गफुट पश्चिमी पासा रास्ता चाहा गया रास्ता नियमानुसार स्वीकृत किया जाने की अभिशाषा की है। फर्द मौका , नजरी नक्शा व जमाबन्दी की सलंगन की है।

—: क्रियान्वयन आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशाषां पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस शर्ते पर स्वीकार किया जाता हैं कि चक 6 एम.के. बी. के पत्थर नं. 147/292 मु.नं. 29 के कि.नं. 1/1 की 0.025 है. में सें तादादी 16.5 गुणा 16.5 वर्गफुट पश्चिमी पासा रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद किया जावे। एवं चालू करवाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।
निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर